



दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी आचार संहिता

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू)

तथा

महाविद्यालय छात्र संघ का 2014-15

का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

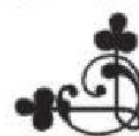


1. छात्र संघ / प्रतिनिधि संस्था में विश्वविद्यालय के संस्थानों के केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के नियमित विद्यार्थी ही चुने जा सकेंगे ।
2. स्नातक स्तर पर जो विद्यार्थी चुनाव वर्ष में 16 अगस्त को 17-22 वर्ष के वर्ग में होंगे वे ही चुनाव लड़ सकेंगे । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले उन महाविद्यालयों में, जहाँ ये पाठ्यक्रम 4-5 वर्ष के हैं, उपयुक्त आयु वर्ग में उचित छूट दी जा सकेगी (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम एक वर्ष की छूट दी जा सकेगी)
3. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा चुनाव वर्ष के 16 अगस्त को 25 वर्ष होगी ।
4. किसी भी रूप में अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा है उसका कोई अकादमिक अधिशेष नहीं होगा अर्थात् वह सभी पूर्व परीक्षाओं में पास होगा । जो अभ्यर्थी पूर्व अकादमिक वर्ष में फेल हो जाते हैं और/अथवा उन्हें वर्तमान अकादमिक वर्ष में पुनः प्रवेश मिलता है, वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे ।
5. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अथवा 75 प्रतिशत उपस्थिति, इनमें से जो भी अधिक हो, अवश्य प्राप्त की हो ।
6. अभ्यर्थी को छात्र संघ पदाधिकारी के चुनाव के लिए एक और कार्यकारिणी सदस्य के लिए दो अवसर मिलेंगे । कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा ।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतिभूति के साथ एक शपथ पत्र देना होगा, जिसके अनुसार :
 - (i) उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और उसके खिलाफ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है ।
 - (ii) वह पूर्व अकादमिक वर्ष में फेल नहीं हुआ है और/अथवा वर्तमान वर्ष में उसने पुनः प्रवेश नहीं लिया है ।
8. प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला अधिकतम व्यय ₹ 5000/- होगा ।



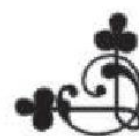


9. परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पूर्ण एवम् लेखा परीक्षित हिसाब देना होगा ।
10. उपर्युक्त नियमों / मार्गदर्शन में से किसी के अननुपालन (नान कंप्लायंस) अथवा अधिक व्यय की स्थिति में अभ्यर्थी का चुनाव निरस्त हो जाएगा ।
11. कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित करेगा जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धर्मों, भाषाओं अथवा छात्रों के विविध समूहों में भेदभाव को बढ़ावा मिले अथवा आपसी घृणा उत्पन्न हो अथवा उनके बीच तनाव उत्पन्न हो ।
12. सभी अभ्यर्थियों के ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने अथवा ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर रोक होगी जिन्हें भ्रष्टाचार और अपराध समझा जाता है । उनमें मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें धमकाना और दूसरे के स्थान पर मतदान करना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रचार करना, मतदान खत्म होने के 24 घण्टे पूर्व जनसभा करना शामिल होगा । मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के लिए वाहन की व्यवस्था भी निषिद्ध होगी ।
13. विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज के छात्रावासों में रात 10 बजे के बाद प्रचार की अनुमति नहीं होगी ।
14. किसी भी अभ्यर्थी को अपने पक्ष में प्रचार के लिए मुद्रित पोस्टर, मुद्रित पर्चे अथवा किसी और रूप में मुद्रित सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी । अभ्यर्थी अपने पक्ष में प्रचार के लिए हाथ से बने पोस्टरों का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे पोस्टरों की लागत निर्धारित उपरोक्त व्यय सीमा में हो ।
15. अभ्यर्थी हाथ से बने पोस्टरों का प्रयोग परिसर के केवल उन निर्धारित स्थानों पर ही कर सकेंगे जिनकी अग्रिम सूचना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा दी जाएगी ।
16. कोई भी अभ्यर्थी और न ही उसका समर्थक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के परिसर की संपत्ति को किसी भी उद्देश्य से कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा । इसमें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट और फेसबुक पृष्ठ भी शामिल हैं । विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने/विरूपित करने के लिए सभी अभ्यर्थी सामुहिक रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके प्रति कठोर कार्यवाही की जाएगी ।





17. अपने पक्ष में प्रचार के उद्देश्य से लाउडस्पीकर, वाहन और पशुओं का प्रयोग निषिद्ध होगा ।
18. मतदाताओं के अलावा उचित पहचान-पत्र/पास/कॉलेज प्राचार्य अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा जारी अधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्र पर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा ।
19. आचार संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी अथवा चुने जाने की स्थिति में उसे पद से हटा दिया जाएगा । महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारी उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं ।
20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया धारा 153 ए तथा अध्याय IX-ए के तहत 'चुनाव सम्बन्धी अपराधों' का प्रावधान विद्यार्थियों के चुनावों पर भी लागू होगा । इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कराने के लिए आपत्तिजनक घटनाओं की रिपोर्ट तथाकथित अपराध होने के 12 घण्टे के भीतर पुलिस में की जानी चाहिए ।
21. इसू चुनाव हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा जिसके अध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठाता/महाविद्यालय के छात्र कल्याण प्रभारी-अध्यापक होंगे । इसके अतिरिक्त इस प्रकोष्ठ में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी और अंतिम वर्ष के दो विद्यार्थी इसके सदस्य होंगे । विद्यार्थियों में एक छात्र और एक छात्रा होगी । (चुनाव परिणामों के घोषित होने तक विद्यार्थियों का नामांकन योग्यता और/अथवा पूर्व वर्षों की सहवर्ती गतिविधियों में भाग लेने के आधार पर किया जा सकता है ।)
22. पूर्वोक्त आचार संहिता में इसके विपरीत कुछ निहित न रहने पर उच्चतम न्यायालय के 22.9.2006 के निर्णय के निर्देश लागू रहेंगे ।





दिल्ली विश्वविद्यालय

अभ्यर्थियों के लिए सुविधाएँ

इस चुनावों में लड़ रहे अभ्यर्थियों को अपने विचार रखने के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार निम्नलिखित प्रबंध किये गए हैं:

(क) प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र ने एक वेबसाइट निर्मित की है ।

(ख) दि. वि. सामुदायिक रेडियो 100.4 पर प्रचार के लिए अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय की अनुमति दी गई है! प्रचार समय और क्रम, चुनाव लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों की उपस्थिति में जिनकी सूची दिनांक 05-09-2014 समय 05:00 बजे सांय तक लगाई जाएगी, लॉटरी द्वारा तय किया जाएगा! लॉटरी सूची लगने के तुरंत बाद निकाली जाएगी ।

(ग) वेबसाइट पर डाली जाने वाली सामग्री और दि. वि. सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले भाषणों की मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व अनापत्ति यह निश्चित करने के लिए प्राप्त करनी होगी की अभ्यर्थी द्वारा किसी आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है! अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर दी जाने वाली लिखित पाठ्य-सामग्री (सॉफ्ट और हार्ड प्रति) दिनांक 06-09-2014 सांय 05:00 बजे तक अनिवार्यतः देनी होगी ।